FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951 Election to the house of the people from the 03-Almora (S.C.) Parliamentary Constituency in Uttarakhand state.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951 read with rule 64 of the Conduct of Election Rules 1961, I declare that :-

Shri Ajay Tamta, Address-Laxmi Niwas, Dugalkhola, Almora sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in the house from the above constituency.

Place: Almora

Date: 23 May, 2019

(Nitin Singh Bhadauria)
Returning Officer
03-Almora(S.C.)

Parliamentary Constituency.

(अ) अल्मोझ (अ**) अल्मो**झ (अ) अल्मोझ (अ)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा। उत्तराखण्ड राज्य के 03—अल्मोड़ा (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :—

श्री अजय टम्टा, लक्ष्मी निवास, दुगालखोला, अल्मोड़ा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गये हैं।

स्थानः अल्मोड़ा

दिनांक: 23 मई, 2019

(नितिन सिंह भदौरिया) रिटर्निंग आफिसर, 03—अल्मोड़ा (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।

03— अल्मोद्धा (**अ००ज्ञा०) संसदीय निर्धाचन क्षे**त्र